रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3894] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941
No. 3894] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

सं. 33/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2(iii) में संशोधन।

का.आ. 4338(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2(iii) में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

मौजूदा नीतिगत शर्त सं. 2(iii)	**संशोधित नीतिगत शर्त सं. 2(iii)**
विनिर्माता से प्राप्त अनुकूलता प्रमाण पत्र कि खिलौनों के द्योतक नमूने जो आयात किए जा रहे हैं, उनकी एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा जाँच की गई है जो एनएबीएल, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा ऊपर दर्शाए गए विनिर्देशनों को पूरा करते हैं। अनूकूलता प्रमाण पत्र में दर्शाए गए विनिर्माण की अवधि के साथ खेप में खिलौनों को भी प्रमाण पत्र लिंक करेगा।	नमूने को यादृच्छिकरूप से प्रत्येक खेप से चुना जाएगा और परीक्षण हेतु एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा और इसे सीमाशुल्क विभाग द्वारा इस शर्त पर मंजूरी दी जा सकती है कि नमूने के सफल परीक्षण तक उत्पाद को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, यदि लिया गया नमूना आवश्यक मानक को पूरा करने में असफल होता है तो खेप को वापस भेजा जाएगा अथवा आयातक के खर्चे पर इसे नष्ट कर दिया जाएगा।

2. आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के खण्ड 2 **(भारतीय गुणवत्ता मानक)** में नया पैरा (बडे अक्षरों में–घ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

__2. (घ) खिलौनों/गुड़िया आदि हेतु आयात नीतिः__ किसी भी अध्याय के तहत खिलौने/गुड़िया और इसी तरह के अन्य मनोरंजन के सामान हेतु आयात नीति, अध्याय 95 की नीतिगत शर्त संख्या 2 में यथा विनिर्दिष्ट बीआईएस मानकों द्वारा अभिशासित होगी।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**—आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2(iii) को संशोधित किया गया है और आईटीसी (एचएस) 2017 की आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के खण्ड 2 **(भारतीय गुणवत्ता मानक)** मे नया पैरा जोड़ा जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/53/एएम—01/पीसी—2(क)/खंड—III]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणीः दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2015—2020 को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की संख्या का.आ. 172(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 26/2015—2020 द्वारा संशोधित करके दिनांक 1 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2890(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2019

No. 33/2015-2020

Subject : Amendment in Policy condition No. 2(iii) to Chapter 95 of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy).

S.O. 4338(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition No. 2(iii) to Chapter 95 of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy), as under:

Existing Policy Condition No. 2(iii)	Revised Policy Condition No. 2(iii)
A Certificate of Conformance from the manufacturer that representative sample of the toys being imported have been tested by an independent laboratory which is accredited by NABL, India and found to meet the specifications indicated above. The Certificate would also link the toys in the consignment to the period of manufacture indicated in the Certificate of Conformity.	Sample will be randomly picked from each consignment and will be sent to NABL accredited Labs for testing and clearance may be given by Customs on the condition that the product cannot be sold in the market till successful testing of the sample. Further, if the sample drawn fails to meet the required standards, the consignment will be sent back or will be destroyed at the cost of importer.

2. A new para (capital-D) is added to Section 2 (**Indian Quality Standards)** to the General Notes Regarding Import Policy of ITC(HS), 2017 as under:

2.(D) Import policy for Toys/Dolls etc: *Import policy for Toys /Dolls and similar other recreational goods under any chapter will be governed by BIS standards as specified in Policy Conditions 2 of Chapter 95.*

3. **Effect of this Notification**: Policy condition No. 2(iii) to chapter 95 of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy) revised and a new para is added to Section 2 (**Indian Quality Standards)** to the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017.

[F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2 (A)/Vol. III]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* Notification No. 26/2015-2020, dated 1st September, 2017 was published in the Gazette of India *vide* S.O. 2890(E), dated 1st September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.12.03 23:10:27 +05'30'